दिनांक 10.05.2025

आज यह चालान पेश हुआ। अभियुक्त अनुपस्थित है। अभियुक्त की उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा उस पर लोक अदालत के माध्यम से वाद निपटाने हेतु आदेशिका जारी की जा रही है परन्तु अभियुक्त किसी भी लोक अदालत मे उपस्थित नही आ रहा है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दृष्टिगत हो रहा है कि चालान मे अंकित पते पर ही अभियुक्त को समन जारी किये गये हैं। जिस पर यह आख्या प्राप्त हो रही है कि दिये गये पते पर उक्त व्यक्ति निवास नही करता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि न्यायालय द्वारा जारी आदेशिकाओं की तामील चालान मे अंकित अधूरे/गलत पते के कारण नही हो पा रही है। ऐसी स्थिति मे अभियुक्त के पत्रावली मे दिये गये पते के आधार पर अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना सम्भव प्रतीत नही हो रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के C.L NO. 8X/(d)-1-MISC/DR (1) 2013 दिनांकित 2 जुलाई 2013 के अनुसार ऐसे छोटे अपराध जिनमे अभियुक्त का सही पता ना हो, उनको विधिनुसार दाखिल दफ्तर किया जा सकता है। इस मामले मे पुलिस आख्या के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के C.L NO. 8X/(d)-1-MISC/DR (1) 2013 दिनांकित 2 जुलाई 2013 के अनुसार यदि छोटे अपराध (petty offences) में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चत नहीं हो पा रही है तो ऐसे वादो को विधि अनुसार दखिल दफतर किया जा सकता है। का सही नाम पता अंकित होना प्रतीत नही हो रहा है। मामला मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित है तथा लघु प्रकृति का है और लम्बी अवधि से नियत चल रहा है। अभियुक्त की उपस्थिति भविष्य मे सम्भव प्रतीत नही होती है और और अभियुक्त पर बार–बार आदेशिका जारी करने से अनावश्यक रूप से शासकीय व्यय हो रहा है। ऐसी स्थिति मे इस वाद की कार्यवाही रोकते हुए पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(जू0डि0)
रूडकी, जिला हरिद्वार